न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:36/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00015)

01. मौहम्मद गफार पुत्र मोहम्मद सफी जाति तेली मुसलमान, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

——अपीलान्ट

बनाम

01. मौहम्मद रमजान पुत्र सफी मौहम्मद,
02. रहमत पत्नी उकरदीन,
03. फकरूदीन पुत्र उमरदीन,
04. इनायत पुत्र उमरदीन,
05. असलम पुत्र उमरदीन,
06. शमीम पुत्री उमरदीन,
07. शौकत अली पुत्र सफी मौहम्मद,
08. लियाकत अली पुत्र सफी मौहम्मद,
09. गुलाम हुसैन पुत्र सफी मौहम्मद,
10. अब्दुल रजाक पुत्र सफी मौहम्मद,
11. इस्लामुदीन पुत्र सफी मौहम्मद
12. शहनवाज पुत्र इस्लाम बानू,
13. खलील पुत्र इस्लाम बानू,
14. मुन्नी पुत्री सफी मौहम्मद,
    समस्त जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।

—— रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.08.2021

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 18.03.2016 (प्रकरण संख्या 01/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 14 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा मु. अलारखी के उत्तराधिकारी हैं तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगाायत 14 की वंशज अलारखी की खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 187/1 6 बीघा व 187/3 11 बीघा व अन्य जायदाद ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुन्झुनूं में स्थित है व दिनांक 23.05.1990 को मुस. अलारखी की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 674 दिनांक 16.12.1991 द्वारा मुस. अलारखी की खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 187/1 व 187/3 मुस. अलारखी की एकमात्र संतान मुस. हाजरा जो कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1, 7 लगायत 11 व 14 की माता व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 6 व 12 व 13 की दादी/नानी थी, के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 674 दिनांक 16.12.1991 जो कि मुस. हाजरा के नाम दर्ज किया गया था, के विरूद्ध प्रथम अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपर कलक्टर, झुन्झुनूं के न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में मुस. अलारखी द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयत दिनांक 22.10.1982 के आधार पर प्रस्तुत की गई जो कि अपर कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.01.1998 द्वारा अवधि बाधित होने के आधार पर अस्वीकार की गई है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 674 एवं निर्णय दिनांक 21.01.1998 के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 3/1998 रमजान बनाम मुस. हाजरा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें पक्षकारों को सुनने के उपरान्त न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.1998 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 674 एवं निर्णय दिनांक 21.01.1998 को अपास्त कर इस आदेश के साथ निस्तारित की कि प्रकरण में पक्षकरों के मध्य लम्बित नियमित वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग लम्बित रहेगी व नियमित वाद के निस्तारण के पश्चात् तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 17.08.2007 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों को गुमराह करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 199 आराजी खसरा नम्बर 584, 623 एवं 623/1739 तथाकथित वसीयत दिनांक 22.10.1982 के आधार पर अपने नाम दर्ज करा ली तथा उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2008 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 199 के विरूद्ध मुस. हाजरा द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 1/2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं ने स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 199 को खारिज कर पूर्व स्थिति को बहाल कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 25.08.1998 तथा जिला न्यायाधीश, झुन्झुनूं के न्यायालय में विचाराधीन सिविल प्रकरण के निर्णय के तदानुसार कार्यवाही करने का आदेश फरमाया। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सिविल नियमित अपील संख्या 27/2003(7/1999) विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.01.1999 रमजान बनाम मुस. हाजरा व अन्य के लम्बित रहते अपील के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 उमरदीन की मृत्यु दिनांक 07.06.2006 को होने के बाद अपीलार्थी द्वारा उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्धारित 90 दिन के अन्दर कार्यवाही नहीं करने के कारण अपील के उपशमन हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी में मुस. हाजरा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसको निस्तारित करते हुए अपर जिला न्यायालय झुन्झुनूं ने अपने आदेश दिनांक 11.08.2010 द्वारा अपील को उपशमित हो जाना माना।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सिविल वाद के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के उपशमित हो जाने पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जरिये नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 05.08.2010 आराजी खसरा नम्बर 623, 684 तथा 623/1739 मुस. हाजरा के नाम विरासत के आधार पर दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 05.08.2010 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 684 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 623 की 1.35 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकार मुस. हाजरा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी मौहम्मद गफार को विक्रय कर दिये। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण नम्बर 355 दिनांक 05.08.2010 के विरूद्ध एक प्रथम अपील संख्या 1/2011 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें मुस. हाजरा की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होने के पश्चात् दौराने लम्बन अपील दिनांक 03.12.2015 को एकमात्र रेस्पोन्डेन्ट मुस. हाजरा जो कि अपीलार्थी की माता थी का देहान्त हो गया तथा उपरोक्त तथ्य प्रत्यर्थी संख्या 1 के ज्ञान में था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मुस. हाजरा के विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्धारित 90 दिनों की अवधि में अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की कार्यवाही नहीं की और दिनांक 03.03.2016 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी अपील का उपशमन हो गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य का बहिष्कार के दौरान दिनांक 18.03.2016 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं के द्वारा आगामी तारीख दिनांक 20.06.2016 नियत करने के पश्चात् उपस्थित होकर अपील की शीघ्र सुनवाई हेतु निवेदन किया गया तथा न्यायालय से एकमात्र प्रत्यर्थी मुस. हाजरा की मृत्यु दिनांक 03.12.2015 को हो जाने के तथ्य को छिपाते हुए तथा अपील के उपशमित हो जाने के पश्चात् भी एकपक्षीय बहस कर न्यायालय को मिसलीड किया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18.03.2016 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 355 को निरस्त कर तथाकथित वसीयत दिनांक 22.10.1982 के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किये जाने की स्थिति में एवं किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में मौका निरीक्षण कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जबकि मुस. हाजरा की मृत्यु दिनांक 03.12.2015 को होने के पश्चात 90 दिन में उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं करने के कारण दिनांक 03.03.2016 को अपील का उपशमन हो गया तथा उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 विधि की नजर में शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा विवादित भूमि के बाबत कब्जा काश्त का मौका व निरीक्षण करते हुए वसीयत दिनांक 22.10.1982 किसी सक्षम न्यायालय से खारिज नही किया जाने की स्थिति में व अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो बाद मौका निरीक्षण कर विवादित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 18.03.2016 को तहसीलदार को दिये गये है जिसके लगभग 3 वर्ष बाद अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार के सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।